निगरानी अन्वेषण ब्यूरो,
बिहार, पटना।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 28.02.2024

श्री शाहिद रजा, सहायक गोदाम प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, खगड़िया, जिला– खगड़िया 1,05,000/– रु0 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की मुख्यालय टीम के द्वारा आज दिनांक 28.02.2024 को निगरानी थाना कांड सं0–01/2024 दिनांक 27.02.2024 में **श्री शाहिद रजा, सहायक गोदाम प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, खगड़िया, जिला– खगड़िया** को **1,05,000/– (एक लाख पॉच हजार) रुपये** रिश्वत लेते सुभाष कुमार, यशोदा नगर, गोशाला रोड, खगड़िया के मकान में किराये पर लिये निजी आवास से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है।

परिवादी श्री संतोष कुमार, पिता– स्व0 परमानंद प्रसाद भगत, ग्राम+पो0– हरिपुर, थाना– अलौली, जिला– खगड़िया द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में दिनांक 19.02.24 को शिकायत दर्ज कराया गया था कि ये अपने राईस मिल से चावल तैयार कर पैक्स के माध्यम से बिहार राज्य खाद्य निगम, खगड़िया स्थित गोदाम में भेजवाते है। इसी क्रम में आरोपी श्री शाहिद रजा, सहायक गोदाम प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, खगड़िया, जिला– खगड़िया एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर वरूण कुमार झा द्वारा प्रत्येक गाड़ी लदा चावल खाली कराने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है।

ब्यूरो द्वारा सत्यापन कराया गया एवं सत्यापन के क्रम में आरोपी श्री शाहिद रजा द्वारा रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण पाया गया। आरोप सही पाये जाने के पश्चात् उपरोक्त कांड अंकित कर अनुसंधानकर्त्ता **श्री विकाश कुमार श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक** के नेतृत्व में एक धावादल का गठन किया गया, जिनके द्वारा कार्रवाई करते हुए अभियुक्त– श्री शाहिद रजा, सहायक गोदाम प्रबंधक को 1,05,000/– रु0 रिश्वत लेते सुभाष कुमार, यशोदा नगर, गोशाला रोड, खगड़िया के मकान में किराये पर लिये निजी आवास से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को पूछताछ के उपरांत माननीय न्यायालय, निगरानी, भागलपुर में उपस्थापित किया जायेगा।

रिश्वत मांगने से संबंधित कोई भी शिकायत कार्यालय अवधि में ब्यूरो के टॉल फ्री नं0– 0612–2215033, 2215030, 2215032, 2215036, 2215037, 2999752, दूरभाष नं0–0612–2215344 एवं मोबाइल नं0– 7765953261 पर की जा सकती है।

,,,,,